



यातनाएं देकर भीख मंगवाने वाले मां बेटे पुलिस ने दबोचे

- काम दिलाने के बहाने गोरखपुर ले गये थे
- गोरखपुर में ही रिश्तेदार के घर बंधक बनाकर रखा था
- दिल्ली व अन्य बड़े शहरों में मंगवाते थे भीख
- महिला समेत दो अभियुक्तों की चल रही तलाश

कानपुर: काम दिलाने के बहाने अगवा करना फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग करके बड़े-बड़े शहरों में भीख मंगवाने वाले पूरे गिरोह का साउथ जोन की थाना नौबस्ता पुलिस ने राज फास कर दिया है। पुलिस ने गिरोह में महिला समेत एक अभियुक्त को दबोच लिया है और एक महिला और एक अन्य अभियुक्त की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

घटनाक्रम के मुताबिक थाना नौबस्ता के मछरिया निवासी सुरेश मांझी को शारीरिक यातनाएं देकर दिल्ली के नागलोई में दिव्यांग करके भीख मंगवाने वाले गिरोह के सरगना राज नागर और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने कई राज उगले हैं। अभियुक्तों ने बताया कि काम की तलाश में भटक रहे लोगों को काम दिलाने के बहाने दिव्यांग करके बड़े शहरों के रेलवे और बस स्टेशन व अन्य भीड़ भाड़ वाले बाजारों में भीख मंगवाते हैं जिनसे प्रति व्यक्ति करीब एक से डेढ़ हजार रुपये की आमदनी होती है। अभियुक्तों से अन्य शिकार बनाए लोगों के संबध में पुलिस पूछताछ कर रही है।

अब तक की पूछताछ में शामिल आया कि मूलरूप से बिहार में सिवान के गोरियाकोठी के पिपरा गांव में रहने वाले सुरेश मांझी को छह माह पहले मछरिया के गुलाबी बिल्डिंग के पास रहने वाले विजय नट ने जनपद गोरखपुर में काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद वहीं पर बंधक बनाकर अपने व रिश्तेदार के घर में छिपा छिपाकर रखा। पूछताछ में बताया कि विजय ने उसकी आंखों में केमिकल डाल

दिया जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद नई दिल्ली के नागलोई में भीख मंगवाने वाले गिरोह के सरगना राज नागर के हाथों 70 हजार रुपये में बेच दिया।

पुलिस ने राज की मां आशा को किदवई नगर नटवन टोला से पकड़ा था। इसके बाद मछरिया में विजय के घर दबिश देकर उसकी मां समेत रिश्तेदार व अन्य दो को उठाया। पूछताछ में विजय की मां ने कबूला कि विजय सुरेश को दिल्ली लेकर गया था। पहले भी एक युवक को ले गए थे वहीं, आशा ने भी पूछताछ में घटना कबूल की। इसके बाद पुलिस ने आशा से ही फोन करवाकर राज को बुलवाया पुलिस ने उसे भी दबोच लिया।

सुरेश माँझी पुत्र मुसाफिर माँझी निवासी कच्ची बस्ती एस ब्लाक यसोदा नगर थाना नौबस्ता कानपुर नगर की तहरीर पर मु0अ0सं0 763/22 धारा 325/326/328/342/370 भादवि0 बनाम 1. विजय पुत्र बाबू सिंह निवासी मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर 2. राज नागर पुत्र दारा सिंह निवासी 127/546 जूही नटवन टोला बारा देवी थाना किदवई नगर कानपुर नगर , 3. आशा पत्नि दारा निवासिनी 127/546 जूही नटवन टोला बारा देवी थाना किदवई नगर पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

•राज नागर पुत्र दारा निवासी 127/546 जूही नटवन टोला बारादेवी थाना किदवई नगर कानपुर नगर करीब 19 वर्ष

•आशा पत्नि दारा निवासिनी 127/546 जूही नटवन टोला बारादेवी थाना किदवई नगर कानपुर नगर उम्र करीब 50 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान

•08.11.2022 को समय 20.05 बजे बरगदिया चौराहा से

इसकी हो रही तलाश

•विजय पुत्र बाबू सिंह निवासी मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर

•तारामती पत्नी राजेश निवासी मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में - निरीक्षक राम आसरे त्रिपाठी, उ0नि0 पवन कुमार मिश्रा , उ0नि0 सैय्यद जुबैर शरीफ, उ0नि0 जयवीर सिंह, हे0का0 विकास कुमार, हे0का0 हरगोविन्द सिंह, का0 सौरभ पाण्डेय, हे0का0 प्रदीप सिंह, का0 रामकुमार सोलंकी शामिल रहे।